

नागर विमानन मंत्रालय
मांग संख्या 8
नागर विमानन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		(करोड़ रुपए)								
मुख्य शीर्ष		बजट 2007-2008			संशोधित 2007-2008			बजट 2008-2009		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		58.00	417.56	475.56	48.00	560.00	608.00	18.02	458.00	476.02
पूंजी		142.00	...	142.00	112.00	...	112.00	171.98	...	171.98
जोड़		200.00	417.56	617.56	160.00	560.00	720.00	190.00	458.00	648.00
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	7.74	7.74	...	8.57	8.57	...	8.03	8.03
नागर विमानन										
2. नागर विमानन महानिदेशक	3053	2.00	21.86	23.86	2.00	23.56	25.56	1.90	22.60	24.50
	5053	85.00	...	85.00	54.00	...	54.00	61.10	...	61.10
	Total	87.00	21.86	108.86	56.00	23.56	79.56	63.00	22.60	85.60
3. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	3053	...	6.43	6.43	...	6.48	6.48	...	6.70	6.70
	5053	12.00	...	12.00	3.00	...	3.00	15.00	...	15.00
	Total	12.00	6.43	18.43	3.00	6.48	9.48	15.00	6.70	21.70
4. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को यात्री सेवा फीस के बदले विदेश यात्रा कर के उसके हिस्से का भुगतान	3053	...	0.10	0.10	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
5. हज चार्टरों के प्रचालन के लिए आर्थिक सहायता	3053	...	374.00	374.00	...	513.87	513.87	...	413.00	413.00
6. सरकारी उद्यमों में निवेश	5053	2.48	...	2.48	27.49	...	27.49	60.44	...	60.44
	7053	22.50	...	22.50	7.49	...	7.49	15.44	...	15.44
	जोड़	24.98	...	24.98	34.98	...	34.98	75.88	...	75.88
7. अन्य व्यय	3053	56.00	3.80	59.80	46.00	551.81	597.81	16.12	3.80	19.92
घटाइए-घटायी गयी प्राप्ति	0075	-548.01	-548.01
	3601	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
	जोड़	56.00	3.85	59.85	46.00	3.85	49.85	16.12	3.85	19.97
अन्य परिवहन सेवाएं										
8. रेलवे सुरक्षा आयुक्त	3075	...	3.62	3.62	...	3.66	3.66	...	3.81	3.81
घटाइए-कार्यात्मक मुख्य शीर्ष										
को अंतरण	3075	...	-0.04	-0.04	...	-0.04	-0.04	...	-0.04	-0.04
	निवल	...	3.58	3.58	...	3.62	3.62	...	3.77	3.77
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान										
9.01 पूर्वोत्तर-क्षेत्र में सरकारी उद्यमों में निवेश	4552	20.02	...	20.02	20.02	...	20.02	20.00	...	20.00
कुल जोड़		200.00	417.56	617.56	160.00	560.00	720.00	190.00	458.00	648.00
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश										
	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.व.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.व.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.व.बा.सं.	जोड़
6.01 एयर इंडिया लि.	13053	...	6337.01	6337.01	...	5608.77	5608.77
6.02 इंडियन एयरलाइन्स लि.	13053	...	2507.70	2507.70	...	2485.39	2485.39
6.03 भारतीय राष्ट्रीय विमानन कम्पनी लि.	13053	5786.48	5786.48
6.04 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	13053	45.00	1916.41	1961.41	55.00	1925.95	1980.95	95.88	3281.22	3377.10
6.05 पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि.	13053	...	246.50	246.50	...	116.85	116.85	...	123.80	123.80
6.06 भारतीय होटल निगम	13053	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00
6.07 एअर इंडिया चार्टर्स लि.	13053	...	1124.47	1124.47	...	926.79	926.79	...	634.50	634.50
जोड़		45.00	12147.09	12192.09	55.00	11078.75	11133.75	95.88	9841.00	9936.88
ग. आयोजना परिव्यय										
1. नागर विमानन	13053	179.98	12147.09	12327.07	139.98	11078.75	11218.73	170.00	9841.00	10011.00
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	20.02	...	20.02	20.02	...	20.02	20.00	...	20.00
जोड़		200.00	12147.09	12347.09	160.00	11078.75	11238.75	190.00	9841.00	10031.00

सं.8/नागर विमानन मंत्रालय

1. यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए है।
2. इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान नागर विमानन महानिदेशालय तथा उसके क्षेत्रों तथा फील्ड कार्यालयों के स्थापना सम्बन्धी व्ययों को पूरा करने तथा गोंदिया महाराष्ट्र में नए उड़ान प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना करने के लिए प्रावधान तथा उपकरणों एवं सह सामग्री की खरीद के लिए है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भारत द्वारा दिया जाने वाला अंशदान भी शामिल है।
3. यह प्रावधान नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के स्थापना व्ययों को पूरा करने, तथा सहायक सामग्री की खरीद तथा कार्यालय स्थान के निर्माण से संबंधित सिविल निर्माण कार्यों आदि के लिए है।
4. यह प्रावधान सरकार द्वारा एकत्र किए जाने वाले विदेश यात्रा कर के रूप में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उनके अंश के भुगतान के लिए है। दिनांक 01-04-2001 से इस योजना को बन्द कर दिया गया है क्योंकि भारतीयविमानपत्तन प्राधिकरण को दिनांक 01-04-2001 से अंतर्राष्ट्रीय यात्री पर पी.एस.एफ.अधिभारित करने की अनुमति दे दी गई है। उन लंबित दावों के निपटान के लिए वर्ष 2008-09 के लिए टोकन प्रावधान किया गया है जिन्हें लेखों के गैर समीकरण के कारण निपटाया नहीं जा सका था।
5. यह प्रावधान हज चार्टरों के प्रचालन के लिए नेशनल एविएशन कम्पनी लिमिटेड (तत्कालीन एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस) को राज सहायता के भुगतान के लिए है।
6. इस शीर्ष के अन्तर्गत आवंटन पूर्वोत्तर क्षेत्र में तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों यथा जम्मू, लेह, श्री नगर, पोर्ट ब्लेयर, अगाती, पांडिचेरी तथा औरंगाबाद में विभिन्न हवाईअड्डों के प्रचालनात्मक विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को बजटीय सहायता जारी करने के लिए है।
7. यह प्रावधान फ्लाईंग/ग्लाइडिंग क्लबों, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी और एयरो क्लब ऑफ इंडिया को सहायता अनुदान के भुगतान के लिए है।
8. इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधानरेल संहक्षा आयोग, जो रेल यात्रा तथा प्रचालन से संबंधित रेलवे सुरक्षा और भारतीय रेल अधिनियम व इसके अंतर्गत निर्मित नियमों में विनिर्दिष्ट कतिपय सांविधिक क्रियायों के निष्पादन से संबंधित है, के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए है।
9. यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु समग्र प्रावधान है।